325

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर संभागीय ग्वालियर मध्य - प्रदेश

राजस्व प्रकरण क्रमांक निगरानी- 5384/2018/छतरपुर/अ.रा.सन् 2018

1- रज्जू पुत्री हरजू लोधी पत्नी कामता लोधी

निवासी ग्राम- बदियन तहसील बड़ामलहरा जिला -छतरपुर म0प्र0

----------आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

1- जशोदा वेवा हरजू लोधी

निवासी ग्राम-बदियन तहसील बड़ामलहरा जिला-छतरपुरम0प्र0

2-स्वामी तनय हरजू लोधी

निवासी ग्राम- बदियन तहसील बड़ामलहरा जिलाछतरपुर म0प्र0

-------- अनावेदकगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधि. द्वारा आज दि0 04-9-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 07-9-18 नियत।

4.9.18 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता

निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग बड़ामलहरा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 95/अपील/2017-2018 में पारित आदेश दिनांक 23.8.2018 से दुखित होकर ।

Delhi 04.9.18

मान्यवर,

निगरानीकर्ता/आवेदक की ओर से निम्न निगरानी प्रस्तुत कर सादर विनय है :-

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा बिना आदेश के एवं बिना धारा 48 म0प्र0भू0रा0सं0 के आवेदन पत्र प्रस्तुत न करके अधीनस्थ न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की गई थी उक्त अपील उत्तरवादी क्रं.2 से उत्तरवादी क्रं.1 से मिलकर 15.10.1976 की अपील प्रस्तुत की गई थी व उक्त आदेश की नकल उत्तरवादीगण को द्वारा प्राप्त नही की गई है और न ही धारा 48 म0प्र0भू0रा0सं0 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है व सन् 1976 में उक्त आदेश तहसीलदार महोदय के यहां

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-5384/2018/छतरपुर/भू.रा. रज्जू विरूद्ध जशोदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बड़ामलहरा जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 95/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 23-08-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 18/2/2019 सदस्य	